



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274364  
CG-DL-E-11072026-274364

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3608]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3608]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3770(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1214(अ) तारीख 09 मार्च 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से. 57.046 कि.मी (रेनिगुंटा से नायुडुपेटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा 3क की उपधारा (3) के अधीन " 12 मार्च 2026" तारीख को " हंस इंडिया " और " प्रजा शक्ति " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी.से 57.046 कि.मी.तक(रेनिगुंटा से नायुडुपेटा खंड)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पेल्लाकुरु					
गांव का नाम: पुनबका					
1	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.068799	जी.वेंकटेश एंस्/ओ गोविंदा स्वामी 408/2C1
2	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.036423	जी.वेंकटेश एंस्/ओ गोविंदस्वामी 408/2C1
3	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.133551	थे डायोसीज ओएफ नेल्लोर सोसायटी 408/2A1
4	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.08094	थे डायोसीज ओएफ नेल्लोर सोसायटी 408/2A1
5	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.08094	कोटा राजेन्द्रैया एंस्/ओ बलैया 408/2H1

6	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.145692	कोटा राजेन्द्रैया ऍस्/ओ बलैया 408/2H1
7	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.056658	कोटा मुरागैया ऍस्/ओ बलैया 408/2D1
8	४०८/२०	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.04047	कोटा मुरागैया ऍस्/ओ बलैया 408/2D1
<b>Total</b>				<b>0.643473</b>	

[फा.सं. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

**S.O. 3770(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1214(E) dated 09th March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71 on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 57.046 (Renigunta to Naidupeta Section) in the district of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “HANS INDIA” and “PRAJA SHAKTI” both dated 12th March 2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 57.046 (Renigunta - Naidupeta Section) of the National Highway No. 71 in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Pellakur</b>					
<b>Village: Punabaka</b>					
1	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.068799	G.Venkatesh S/o Govinda Swamy 408/2C1
2	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.036423	G.Venkatesh S/o Govindaswamy 408/2C1
3	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.133551	The Diocese of Nellore Society 408/2A1
4	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.08094	The Diocese of Nellore Society 408/2A1
5	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.08094	Kota Rajendraiah S/o Balaiah 408/2H1
6	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.145692	Kota Rajendraiah S/o Balaiah 408/2H1
7	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.056658	Kota Muragaiah S/o Balaiah 408/2D1
8	408/2A	Private (Patta)	Dry	0.04047	Kota Muragaiah S/o Balaiah 408/2D1
<b>Total</b>				<b>0.643473</b>	

[F.No. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director